

[2024] 7 एस.सी.आर. 163:2024 आईएनएससी 424

सुरेंद्र सिंह

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

(आपराधिक अपील सं. 597/2012)

03 जुलाई 2024

[माननीय न्या. श्री सुधांशु धूलिया* और माननीय न्या. श्री राजेश बिंदल]

विचारणीय मुद्दा

भा.दं.सं. की धारा 302 और 307 के अंतर्गत अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 और धारा 307, धारा 300 अपवाद 1 - हत्या -हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध, जब - आत्मरक्षा का अभिवाक् - अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी पुलिस गार्ड ने झूटी के दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर मृतक की हत्या की - मृतक का अपीलार्थी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था - मृतक और अपीलार्थी को आखिरी बार पुलिस स्टेशन के अंदर एक से अधिक साक्षियों द्वारा एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था, यहां तक कि इन साक्षियों ने अपीलार्थी को मृतक को उसकी आधिकारिक 9 मि.मी. कार्बाइन से मारते हुए देखने से कुछ मिनट पहले भी - अपीलार्थी द्वारा आत्मरक्षा का अभिवाक् किया कि मृतक की मृत्यु अपीलार्थी के कारण हुई थी जब अपीलार्थी मृतक द्वारा किए गए घोर और आकस्मिक प्रकोपन के कारण आत्म-

नियंत्रण की अपनी शक्ति से वंचित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई - निचले न्यायालयों द्वारा धारा 302 और 307 के अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश - न्यायोचित्य:

अभिनिर्धारित किया गया: सभी साक्ष्य अपुष्ट हैं - अभियोजन पक्ष का मामला इन साक्ष्यों के आधार पर सुरक्षित है - यह हत्या का एक स्पष्ट मामला है - अपीलार्थी का यह कहना कि मृतक का अपनी पत्नी के साथ संबंध था, और पुलिस स्टेशन में अपराध को अंजाम देना, ये सभी बातें अपीलार्थी द्वारा पुलिस स्टेशन के अंदर की गई हत्या की ओर इशारा करती हैं - प्रवेश द्वार को धूमिल करने के साथ एक आग्नेयास्त्र अभिघात यह भी बताता है कि मृतक को पहली गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी - बाकी चोटें भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य से मेल खाती हैं - आत्मरक्षा का अभिवाक् और वैकल्पिक रूप से अपीलार्थी द्वारा घोर और आकस्मिक प्रकोपन का अभिवाक् कि यह मृतक ही था जो अपनी कार की पूरी गति से पुलिस स्टेशन आया और पहले पुलिस स्टेशन के गेट से टकराया और फिर उसे मारने के लिए अपीलार्थी से हथियार छीनने का प्रयास किया, कोई आधार नहीं रखता है - बचाव पक्ष किसी भी साक्ष्य से निजी बचाव का मामला स्थापित नहीं कर पाया है - पुलिस कर्मियों के प्रत्यक्षदर्शी बयान, जो उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, किसी भी उचित संदेह से परे हत्या का मामला स्थापित करते हैं - इस प्रकार, प्रयोग किए गए हथियार की प्रकृति; मृतक पर चलाई गई बंदूक की गोलियों की संख्या; शरीर का वह हिस्सा जहाँ बंदूक की गोली चलाई गई है, सभी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अपीलार्थी मृतक को मारने के लिए दृढ़ था और अंततः, उसने अपना काम पूरा कर लिया - यह किसी भी कम परिमाण का मामला नहीं है, और निश्चित रूप से

हत्या के समान न होने वाली सदोष हत्या नहीं है - तथ्य धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत या भा.दं.सं. की धारा 300 के किसी अन्य अपवाद के अंतर्गत किसी भी मामले को दूर से भी नहीं बनाते हैं - निचले न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 105। [पैरा 19-26]

दंड संहिता, 1860 - धारा 300 अपवाद 1 - जब हत्या की कोटि में न आता हो तो सदोष मानव वध - जब प्रकोपन घोर और आकस्मिक हो तो मामले को धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत लाया जाता है:

अभिनिर्धारित किया गया: हत्या के मामले को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध मामले में बदलने के लिए, प्रकोपन का ऐसा होना जरूरी है जो अस्थायी रूप से एक “उचित व्यक्ति”की आत्म-नियंत्रण की शक्ति को छीन ले - प्रकोपन के जरिए ही अपराध को हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध में नहीं बदला जा सकता - कथित प्रकोपन और हत्या के कृत्य के बीच समय का अंतर; प्रयोग किए गए हथियार की तरह; वार की संख्या आदि को भी देखा जाना चाहिए - ये सभी फिर से तथ्यों के प्रश्न हैं - इन परिस्थितियों में युक्तियुक्तता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कोई मानक या परीक्षण नहीं है क्योंकि यह फिर से एक तथ्य का प्रश्न होगा जिसे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। [पैरा 25]

आपराधिक विचारण - साक्षी की प्रतिपरीक्षा दो महीने के लिए स्थगित - प्रभाव:

अभिनिर्धारित किया गया: मुख्य परीक्षा के बाद इतना लंबा स्थगन कभी नहीं दिया जाना चाहिए - इससे विचारण की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और किसी मामले में साक्षी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है - जहां तक संभव हो, बचाव पक्ष को उसी दिन या अगले दिन साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए - केवल

बहुत ही असाधारण मामलों में, और अभिलिखित कारणों के लिए, प्रतिपरीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो साक्षी के लिए सावधानी और देखभाल करने के बाद एक छोटा स्थगन दिया जा सकता है - न्यायालयों को इन मामलों को स्थगित करने में धीमी गति से काम करना चाहिए - यह प्रक्रिया एक स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है - दं.प्र.सं. की धारा 231 और विषय पर निर्धारित विधि का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 231. [पैरा 11,13]

उद्धृत मामला विधि

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शंभू नाथ सिंह [\[2001\] 2 एससीआर 854](#) : (2001) 4 एससीसी 667; अंबिका प्रसाद बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [\[2000\] 1 एससीआर 342](#): (2000) 2 एससीसी 646; मो. खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [\[2002\] पूरक 2 एससीआर 31](#): (2002) 7 एससीसी 334; केरल राज्य बनाम रशीद [\[2018\] 13 एससीआर 587](#): (2019) 13 एससीसी 297; मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश [\[2004\] पूरक 6 एससीआर 152](#): (2005) 9 एससीसी 705; सलीम जिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [\[1979\] 2 एससीआर 394](#): (1979) 2 एससीसी 648; के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य [\[1961\] 1 एससीआर 497](#): एआईआर 1962 एससी 605 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध; आत्मरक्षा का अभिवाक्; आत्म-नियंत्रण की शक्ति; घोर और आकस्मिक प्रकोपन; हेतु; प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य; निजी

बचाव; प्रमाण का भार; भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत मामला; साक्षी की प्रतिपरीक्षा को स्थगित करना; मुख्य परीक्षा के बाद लंबा स्थगन; विचारण की निष्पक्षता।

से उद्भूत मामला

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 597/2012

आप.अ. सं. 202/2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 18.05.2011 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

एस के अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण के. सिन्हा, राकेश सिंह, सुश्री अंजलि राजपूत, सुमित सिन्हा, रोहन गोयल, अभिनव मुत्यालवार, विजय राज सिंह चौहान, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

सत्यजीत ए. देसाई, अधिवक्ता (न्यायमित्र)

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, अति.महा सॉलि., मुकेश कुमार मरोड़िया, सुश्री अमेय विक्रम थानवी, श्रीमती चित्रांगदा रस्तरावर, संतोष कुमार, सुश्री स्वेक्षा, सुश्री पूर्णिमा सिंह, चिन्मय मेहता, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. सुधांशु धूलिया,

1. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आदेश (दिनांक 18.05.2011) को चुनौती दी है, जिसमें उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखा गया था, जिसके लिए उसे क्रमशः आजीवन कारावास और 7 वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया था।

2. हमने अपीलार्थी तथा राज्य के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है।
3. जैसा कि मामले के तथ्यों से पता चलता है, वर्तमान मामला दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के अंदर की गई एक निर्लज्ज हत्या का है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी, जो दिल्ली के मयूर विहार पुलिस स्टेशन में एक पुलिस गार्ड के रूप में तैनात था, ने पुलिस स्टेशन के अंदर इस हत्या को अंजाम दिया, जब वह ड्यूटी पर था।
4. मृतक का विवाह अपीलार्थी के चचेरे/ममेरे भाई से हुआ था और वह उसका पड़ोसी भी था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक का अपीलार्थी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इस तथ्य के एक से अधिक साक्षी हैं कि मृतक और अपीलार्थी को आखिरी बार पुलिस स्टेशन के अंदर एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था, यहां तक कि इन साक्षियों ने अपीलार्थी को अपनी सरकारी 9 मि.मी. कार्बाइन से मृतक की हत्या करते हुए देखने से कुछ मिनट पहले भी ऐसा देखा था।
5. दिनांक 30.06.2002 को दोपहर 2:30 बजे, अभि.सा.-2 के कथन पर भा.दं.सं. की धारा 302/307 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन मयूर विहार, नई दिल्ली में एक प्राथमिकी निविष्ट की गई थी, जो संबंधित समय पर पुलिस स्टेशन, मयूर विहार, नई दिल्ली में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था। अभि.सा.-2 का कहना है कि घटना की तिथि को वह लगभग 11.30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची और अपीलार्थी को मृतक से बात करते देखा। उसने आगे कहा कि लगभग 11.40 बजे, उसने गोलियों की आवाज सुनी और फिर मृतक को ड्यूटी अधिकारी के कमरे की ओर भागते देखा; वह खून से लथपथ था और उसने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। अपीलार्थी को मृतक पर अपनी कार्बाइन से गोलियां चलाते देखा गया था। जब गोलीबारी बंद हुई, तो मृतक को ड्यूटी अधिकारी के कमरे के बाहर खून से लथपथ पड़ा देखा गया। अपीलार्थी को पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसकी कार्बाइन के साथ पकड़ लिया गया, तथा अभि.सा.-2, जो गोलीबारी में घायल हो गई

थी, को एल.बी.एस. अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सा सहायता दी गई, तथा बाद में उसने प्राथमिकी निविष्ट कराई।

6. पुलिस ने अपने अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दायर किया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जहां वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302/307 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियोजन पक्ष ने 27 साक्षियों का परीक्षण किया। आरोपी ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपना बयान देने के बाद ब.सा.-1 के रूप में एक साक्षी का भी परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने अंततः अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 302 और 307 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया और दंडादेश दिया, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है।
7. विचित्र बात, और यह कि अभियोजन पक्ष को ही सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, इसने अभि.सा.-6 जो अपीलार्थी का भाई है और अभि.सा.-25 जो अपीलार्थी की पत्नी है, का अभियोजन पक्ष के साक्षियों के रूप में परीक्षण किया गया। हालाँकि इन दोनों साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का इस हद तक समर्थन किया है कि वे यह स्थापित करते हैं कि मृतक का अपीलार्थी की पत्नी के साथ विवाहेतर संबंध था, फिर भी उन दोनों ने अपने परिसाक्ष्य में यह भी जोड़ा कि यह मृतक ही था जो अपीलार्थी को मारने के लिए दृढ़ था!
8. अभि.सा.-25, जो अपीलार्थी की पत्नी है, का कहना है कि घटना से कुछ मिनट पहले मृतक उसके घर आया था और उसे चेतावनी दी थी कि वह उसके पति को मारने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा है! अभि.सा.-6 भी मृतक की इस बात का साक्षी है।
9. जैसा कि हम देखेंगे, अभियुक्त/अपीलार्थी ने न तो घटना से इनकार किया है और न ही इस तथ्य से कि उसने मृतक की हत्या की है। उसका तर्क है कि उसने आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया, और वैकल्पिक रूप से यदि आत्मरक्षा को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह घोर और आकस्मिक प्रकोपन का मामला था, जिसके कारण अपीलार्थी के हाथों मृतक की मृत्यु हो गई। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसा है भी, तो अपीलार्थी को

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जा सकता है।

हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन (अर्थात् दिनांक 30.06.2002) को मृतक ही अपीलार्थी को मारने के लिए पुलिस स्टेशन आया था और अपीलार्थी ने अपने हथियार का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में किया था, परंतु दुर्भाग्यवश मृतक मारा गया।

अभि.सा.-25 और अभि.सा.-6 के साक्ष्य, जिनका हमने अभी उल्लेख किया है, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इस हद तक कि मृतक अपीलार्थी को मारने के लिए दृढ़ था। अपीलार्थी ने अपने दं.प्र.सं. की धारा 313 बयान में निम्नलिखित कहा है:-

“...मैं संतरी के तौर पर अपनी इयूटी कर रहा था। करीब 11.40 बजे सतीश (मृतक) जो मेरा रिश्तेदार था, वहां आया। मैंने थानाध्यक्ष के निर्देशानुसार थाने के दरवाजे आधे बंद कर दिए। उसने कार से दरवाजे टकराकर उन्हें खोला। उसने थाने के अंदर अपनी कार खड़ी कर दी। वह मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं उसे पुलिस क्वार्टर के पास ले गया। वह मुझ पर झपटा। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया। मैं उसे इयूटी अधिकारी के कमरे की ओर ले गया। मैंने उसके हाथ से अपनी कार्बाइन छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान गोली चल गई। मैगजीन नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाकर कार्बाइन में फिट करने का प्रयास किया। इसी दौरान गोली हवा में चार-पांच बार फायर हुई। सतीश ने मुझसे कार्बाइन छीनने का प्रयास किया और इसी दौरान उसे गोली लग गई। थाने के गेट से लेकर पुलिस क्वार्टर तक कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जब हम इयूटी अधिकारी के कमरे के पास थे तो कार्बाइन ऑटोमैटिक मोड पर थी। इससे गोली चली जो मृतक सतीश के साथ-साथ दीवारों, ट्यूबलाइट और इयूटी अधिकारी के कमरे की खिड़कियों में लगी।”

बचाव पक्ष का पूरा मामला अभियुक्त अपीलार्थी के उपरोक्त कथन पर आधारित है, जो यह है कि मृतक ही उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पुलिस स्टेशन भागकर आया था, जबकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अपीलार्थी वहां गार्ड के तौर पर तैनात है। फिर उसने अपीलार्थी से हथियार छीनने का प्रयास किया और इस हाथापाई में हथियार से गोली चल गई, जो एक दुर्घटना थी, जिसके कारण अंततः मृतक की मृत्यु हो गई। संक्षेप में, बचाव पक्ष का मामला यही है।

फिर भी, यह मनगढ़ंत कहानी विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय को पसंद नहीं आई और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास इसके विपरीत पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो वर्तमान अपीलार्थी के हाथों एक नृशंस हत्या की ओर ही इशारा करते हैं।

अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पुलिस स्टेशन में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और मुख्य रूप से अभि.सा.-2 जो एक महिला हेड कांस्टेबल है और शिकायतकर्ता भी है, के बयान पर आधारित है। यह साक्षी घटना के अपने बयान पर; और बाद में विचारण के दौरान उसकी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में भी अडिग रही है, जो उसने निविष्ट कराई गई प्राथमिकी में दिया था। वह एक अत्यंत विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्षी है और उसके बयान और अभिसाक्ष्य की सत्यता अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करती है, और अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है, जिसमें अभि.सा.-1, अभि.सा.-14 और अभि.सा.-17 के प्रत्यक्ष साक्ष्य शामिल हैं, जो पुलिस स्टेशन मयूर विहार, नई दिल्ली में तैनात कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल भी थे, और प्रासंगिक समय पर पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त, इसकी पुष्टि फॉरेंसिक साक्ष्यों से भी होती है, जो पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटनास्थल से ही एकत्र किए गए थे, जिसे हम थोड़ी देर में संदर्भित करेंगे।

बचाव पक्ष ने अभि.सा.-2 से लंबी प्रतिपरीक्षा की। प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष ने इस साक्षी की पुलिस स्टेशन में मौजूदगी पर संदेह जताने का हर संभव प्रयास किया, परंतु यह सब व्यर्थ रहा क्योंकि इस मामले में एक से

अधिक साक्षी हैं जो स्पष्ट रूप से पुलिस स्टेशन में अभि.सा.-2 की मौजूदगी को स्थापित करते हैं। उसकी मौजूदगी अन्य साक्षियों जैसे अभि.सा.-1, अभि.सा.-14 और अभि.सा.-17 द्वारा स्थापित की गई है, जो उसी पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मौजूदगी इस तथ्य से स्थापित होती है कि यह साक्षी (अभि.सा.-2) एक घायल साक्षी भी है क्योंकि उसके बाएं कंधे पर गोली लगी थी। उसी दिन उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. बायें (बाएं) कंधे पर हंसली के पार्श्व सिरे के पास 2x2 सेमी का विदीर्ण घाव, आगे की ओर गहरा, ताजा, खून बह रहा है।
2. बाएं कंधे (बाएं) पर विदीर्ण घाव, हंसली के पार्श्व सिरे के पास पीछे की ओर, 3x3 सेमी, ताजा, खून बह रहा है।

अभि.सा.-11, हेड कांस्टेबल जय प्रकाश ही वह व्यक्ति है जो अभि.सा.-2 को एलबीएस अस्पताल ले गया और इस संबंध में उसने न्यायालय के समक्ष परिसाक्ष्य भी दिया। मामले का अन्वेषण करने वाले थाने के थानाध्यक्ष अभि.सा.-27 ने भी परिसाक्ष्य दिया कि वह घटना के तुरंत बाद थाने पहुंचा और फिर अस्पताल पहुंचा जहां उसने अभि.सा.-2 का बयान अभिलिखित किया।

10. अपनी मुख्य परीक्षा में अभि.सा.-2 ने कहा कि दिनांक 30.06.2002 को वह पुलिस स्टेशन, मयूर विहार में तैनात थी, जहाँ उसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी अधिकारी के रूप में काम करना था, किंतु उस दिन सुबह उसे कुछ निजी काम था, इसलिए उसने थानाध्यक्ष से देर से आने की अनुमति ले ली थी। इसलिए वह सुबह 11.35 बजे थाने पहुँची और गेट पर उसने अपीलार्थी-सुरेंद्र (जिसे उसने न्यायालय में पहचाना) को देखा, जो उसी पुलिस स्टेशन में गार्ड के रूप में तैनात था, जो परिसर के एक कोने के पास एक अजनबी से बात कर रहा था। इसके बाद वह सीधे

अपने ड्यूटी रूम में गई और जब वह हेड कांस्टेबल ओम पाल (अभि.सा.-1) से बात कर रही थी, जिससे उसे कार्यभार लेना था, और जहां कांस्टेबल विनोद (अभि.सा.-17) और डीएचजी जय सिंह (अभि.सा.-5) भी मुंशी गुलजारी लाल के साथ मौजूद था, उसने अचानक पुलिस स्टेशन के परिसर में गोलियों की आवाज सुनी। फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति जिससे अपीलार्थी बात कर रहा था (अर्थात् मृतक) अपने हाथ खड़े करके ड्यूटी अधिकारियों के कमरे की ओर भाग रहा था; और वह खून से लथपथ था। उसने कांस्टेबल सुरेंद्र (अर्थात् इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी) को भी देखा, जो पीछे से इस व्यक्ति का पीछा कर रहा था, अभी भी अपनी 9 मिमी कार्बाइन से मृतक को निशाना बनाते हुए गोलियां चला रहा था। वह और साथ ही हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल विनोद और डीएचजी जय सिंह नीचे झुके और विचित्र गोलियों से बचने के लिए ढाल ले ली इसके बाद हेड कांस्टेबल जय प्रकाश उसे एलबीएस अस्पताल ले गया। अस्पताल में ही उसे बताया गया कि मृतक (सतीश) सुरेंद्र का संबंधी था और फायरिंग में लगी गोली के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है।

11. बचाव पक्ष ने इस साक्षी से उसकी मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपरीक्षा नहीं की, किंतु की गई प्रतिपरीक्षा को स्थगित करने की मांग की, और उससे दिनांक 30.11.2004 को ही प्रतिपरीक्षा की गई, जो उसकी मुख्य परीक्षा के दो महीने से अधिक समय बाद है। हम यहां थोड़ी देर के लिए रुककर केवल सावधानी बरतने की सलाह दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद इस मामले में दिया गया इतना लंबा स्थगन कभी नहीं दिया जाना चाहिए था। इसके कई कारण हैं, परंतु हमारे विचार से मुख्य कारण यह होगा कि इससे विचारण की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और किसी मामले में साक्षी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। जहां तक संभव हो, बचाव पक्ष को उसी दिन या अगले दिन साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केवल बहुत ही असाधारण मामलों में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, प्रतिपरीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो साक्षी के लिए सावधानी और देखभाल करने के बाद एक छोटा स्थगन दिया जा सकता है। हम यह टिप्पणी करने के लिए

बाध्य हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक मामले में देखा है कि प्रतिपरीक्षा नियमित रूप से स्थगित की जा रही है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

12. इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर विचारण न्यायालय की इस प्रथा की निंदा की है, जहाँ बिना पर्याप्त कारणों के परीक्षाएँ स्थगित कर दी जाती हैं। हम यहाँ कुछ मामलों का उल्लेख कर सकते हैं, जो हैं [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शंभूनाथ सिंह \(2001\) 4 एससीसी 667](#); [अंबिका प्रसाद बनाम राज्य \(दिल्ली प्रशासन\) \(2000\) 2 एससीसी 646](#); [मो. खालिद बनाम प. बं. राज्य \(2002\) 7 एससीसी 334](#)।

13. जैसा कि हमने कहा है कि अपवादस्वरूप मामलों में जैसे कि दं.प्र.सं.¹ की धारा 231 की उपधारा 2 के अंतर्गत, और न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से प्रतिपरीक्षा को स्थगित किया जा सकता है, परंतु यहां भी स्थगन अधिकार के तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए और अंततः यह न्यायालय का विवेक है। [केरल राज्य बनाम रशीद \(2019\) 13 एससीसी 297](#) में, इस न्यायालय ने कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनके अंतर्गत ऐसा स्थगन दिया जा सकता है। फिर से इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि स्थगन हेतु अनुरोध पर्याप्त कारणों पर आधारित होना चाहिए, जो साक्षी की प्रतिपरीक्षा को स्थगित करने को उचित ठहराते हैं।

जैसा कि हम वर्तमान मामले के अभिलेखों से देख सकते हैं, अभि.सा.-2 की प्रतिपरीक्षा को दं.प्र.सं. की धारा 231 की उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर स्थगित किया गया था। बचाव पक्ष ने अभि.सा.-2 का परीक्षण दूसरे अभियोजन पक्ष के साक्षी (विनोद- अभि.सा.-17) के साथ करने का अनुरोध किया। फिर भी मामले के अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि

¹ 231. अभियोजन हेतु साक्ष्य।--(1) इस प्रकार निर्धारित की गई तिथि को न्यायाधीश अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) न्यायाधीश अपने विवेकानुसार किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा को तब तक स्थगित करने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न हो जाए या किसी साक्षी को आगे की प्रतिपरीक्षा हेतु वापस बुला सकता है।

हालांकि प्रतिपरीक्षा स्थगित कर दी गई थी, फिर भी दूसरे साक्षी (अभि.सा.-17) की परीक्षा बहुत बाद में, अभि.सा.-2 की प्रतिपरीक्षा के लगभग एक वर्ष बाद की गई। हम केवल यह चेतावनी नोट अभिलिखित करना चाहते थे जिससे हम अपनी बात रख सकें कि यह प्रथा एक स्वस्थ प्रथा नहीं है और न्यायालयों को इन मामलों को स्थगित करने में धीमी गति से काम करना चाहिए। दं.प्र.सं. की धारा 231 के आदेश और ऊपर उल्लिखित विषय पर निर्धारित विधि का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

शुक्र है कि इस मामले में, अभि.सां.-2 की स्थगित प्रतिपरीक्षा से विचारण की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह साक्षी लगातार अपनी बात कहता रहा है।

14. अभि.सा.-19 डॉ. एस.बी. जंगपांगी हैं, जो एलबीएस अस्पताल दिल्ली में तैनात आपात चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने अभि.सा.-2 की परीक्षा की थी क्योंकि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसे गोली लगी थी। अभि.सा.-19 ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि पनवती (अभि.सा.-2) के शरीर पर दो चोटें पाई गई थीं। अभि.सा.-19 ने मृतक की भी परीक्षा की थी, जिसे उसने मृत घोषित कर दिया था और पाया कि उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे।
15. अभि.सा.-1, ओमपाल सिंह, जो कि पुलिस स्टेशन मयूर विहार में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात थे, अभियोजन पक्ष के एक अन्य प्रमुख साक्षी हैं। उनका कहना है कि वे दिनांक 30.06.2002 को डब्ल्यूएचसी पनवती (अभि.सा.- 2) के स्थान पर ड्यूटी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। अभि.सा.-2 के अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के बाद कांस्टेबल विनोद (अभि.सा.-17), डीएचजी जय सिंह और अभि.सा.-1 भी ड्यूटी अधिकारी के कमरे में थे। उन्होंने बताया कि घटना के दिन उन्होंने लगभग 11.35 बजे गोलीबारी की आवाज सुनी और खून से सने कपड़ों वाले एक व्यक्ति (अर्थात् मृतक) को ड्यूटी अधिकारी के कमरे में जाने का प्रयास करते देखा। उनका पीछा अपीलार्थी कर रहा था, जिसकी पहचान इस साक्षी ने न्यायालय में की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों ने ड्यूटी

अधिकारी के कमरे में अपनी जान बचाने का प्रयास किया और फिर मृतक को जमीन पर पड़ा देखा। इस साक्षी से बाद में प्रतिपरीक्षा की गई परंतु फिर भी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे इस साक्षी के बयान पर संदेह हो।

16. अभि.सा.-11 और अभि.सा.-17 क्रमशः हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे, जो दिनांक 30 जून, 2002 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन इस पुलिस स्टेशन में तैनात थे। वे भी अपराध के साक्षी थे और उनके बयान में भी वही तथ्य सामने आए हैं, जो अभि.सा.-1 और अभि.सा.- 2 ने बताए हैं।
17. एलबीएस अस्पताल के डॉ. विनय कुमार सिंह (अभि.सा.- 18) द्वारा दिनांक 01.07.2002 को शव परीक्षण किया गया। उन्होंने मृतक के शरीर पर 17 पूर्व मृत्यु की चोटें देखीं। उन्होंने अपने बयान में अपनी शव परीक्षण की रिपोर्ट की पुष्टि की, जहां उनकी राय में मौत का कारण आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुआ सदमा था। उन्होंने कहा कि मृतक के सीने और पीठ पर लगी चोटें उसकी मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मृतक के सीने की गुहा से भी गोलियां बरामद की गईं और पीठ के दाहिने हिस्से से एक गोली बरामद की गई। 6 आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव थे जो 6 आग्नेयास्त्र निकास घावों के अनुरूप थे। कम से कम एक आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव में प्रवेश बिंदु पर एक कालापन है जो दर्शाता है कि इसे बिंदु-रिक्त सीमा से फायर किया गया था।
18. कुल मिलाकर, मृतक को अपीलार्थी की कार्बाइन से 8 से 9 गोलियां लगीं जो उसके पूरे शरीर पर फैली हुई हैं। मृतक के शरीर के आगे और पीछे दोनों तरफ घाव हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक को न केवल सामने से बल्कि पीछे से भी गोली मारी गई थी, जबकि वह भागने की कोशिश कर रहा था। इन चोटों की प्रकृति अभि.सा.-2 के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य से मेल खाती है। अभि.सा.-2 ने ही कहा था कि जब वह पुलिस स्टेशन आई थी, तो उसने मृतक को पुलिस स्टेशन के गेट पर अपीलार्थी से बात करते देखा था और अपीलार्थी के पास कार्बाइन थी। अभि.सा.-21,

कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, जिसे दोपहर 12 बजे 'संतरी'/गार्ड का प्रभार संभालना था, ने भी कहा कि उसने घटना से पहले अपीलार्थी को मृतक से बात करते देखा था। अभि.सा.-2 ने कुछ मिनट बाद गोली चलने की आवाज सुनी और फिर मृतक (जो खून से लथपथ था) को अपने हाथ खड़े करके इयूटी रूम की ओर भागते देखा और अपीलार्थी ने पीछे से उस पर गोली चलाई।

19. कुल मिलाकर, ये सभी साक्ष्य बेबुनियाद हैं। अभियोजन पक्ष का मामला इन साक्ष्यों के आधार पर सुरक्षित है। यह हत्या का स्पष्ट मामला है। अपीलार्थी का उद्देश्य (बेशक मृतक का अपीलार्थी की पत्नी के साथ संबंध था) और पुलिस स्टेशन में अपराध को अंजाम देना, सभी वर्तमान अपीलार्थी द्वारा पुलिस स्टेशन के अंदर की गई हत्या की ओर इशारा करते हैं। प्रवेश बिंदु को काला करते हुए एक फायर आर्म की चोट भी बताती है कि मृतक को पहले नजदीक से गोली मारी गई थी। बाकी चोटें भी ऊपर बताए गए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य से मेल खाती हैं।
20. आत्मरक्षा का अभिवाक् और इसके विकल्प के रूप में अपीलार्थी द्वारा घोर और आकस्मिक प्रकोपन का अभिवाक् भी इस सिद्धांत पर आधारित है कि मृतक ही अपनी कार में पूरी गति से पुलिस स्टेशन आया था, जिससे पहले उसने पुलिस स्टेशन के गेट को टक्कर मारी और फिर अपीलार्थी को मारने के लिए उससे हथियार छीनने का प्रयास किया। परंतु ये तर्क कोई आधार नहीं रखते और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचाव की इस विचित्र लाइन को बनाए रखने के लिए एक रत्ती भी साक्ष्य नहीं है।
21. भारतीय साक्ष्य अधिनियम² की धारा 105 के अंतर्गत, यह प्रमाणित करने का भार कि अभियुक्त का मामला सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है,

² 105. यह प्रमाणित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अधीन आता है - जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उस मामले को भारतीय दंड संहिता (1860 का XLV) के किसी साधारण अपवाद के अंतर्गत, या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या अपराध को परिभाषित करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अंतर्गत लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा।

अभियुक्त पर ही है। इस न्यायालय ने राज्य मध्य प्रदेश बनाम रमेश, (2005) 9 एससीसी 705 में कहा कि:

"भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 105 के अंतर्गत, प्रमाण पेश करने का भार अभियुक्त पर होता है, जो आत्मरक्षा का अभिवाक् पेश करता है, और प्रमाण के अभाव में, न्यायालय हेतु आत्मरक्षा के अभिवाक् की सत्यता का अनुमान लगाना संभव नहीं है। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति को मान लेगा.....जहां निजी बचाव के अधिकार का अभिवचन दिया जाता है, वहां बचाव एक उचित और संभावित विवरण होना चाहिए जो न्यायालय को संतुष्ट करे कि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई हानि या तो हमले को रोकने के लिए या अभियुक्त की ओर से आगे की उचित आशंका को रोकने के लिए आवश्यक थी।"

यद्यपि यह प्रमाण का बोझ अभियोजन पक्ष पर सभी उचित संदेहों से परे प्रमाणित करने के बोझ जितना भारी नहीं है, फिर भी जब यह अभिवाक् किया जाता है, तो बचाव पक्ष को कुछ हद तक उचित संतुष्टि स्थापित करनी होती है। (देखें: सलीमजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1979) 2 एससीसी 648)।

22. इस मामले में बचाव पक्ष किसी भी साक्ष्य के आधार पर निजी बचाव का मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इस पहलू पर कोई साक्ष्य नहीं है और इसलिए इस अभिवाक् को विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा भी ठीक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया।
23. वास्तव में, मामले के तथ्यों और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा आत्मरक्षा का अभिवाक् कम से कम बचकाना है। बचाव पक्ष का यह कहना कि मृतक अपीलार्थी को मारने के लिए "निहत्थे" पुलिस स्टेशन आया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अपीलार्थी के पास हथियार था, मृतक को हमलावर के रूप में पेश करने

का एक विचित्र प्रयास है। इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात अभि.सा.-2, अभि.सा.-1, अभि.सा.-11 और अभि.सा.-17 के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि अपीलार्थी ने गोली चलाने की शुरुआत में नहीं रोका, जिसे उसने बहुत करीब से चलाया था (काले रंग के साथ बंदूक की गोली का प्रवेश घाव)। इसके बजाय, उसने भागने की कोशिश करते समय भी मृतक पर गोलियां बरसाना जारी रखा। उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद चार पुलिसकर्मियों के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान किसी भी उचित संदेह से परे हत्या का मामला स्थापित करते हैं।

24. बचाव पक्ष फिर से यह दर्शाकर अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाया कि यह घोर और आस्कस्मिक प्रकोपन का मामला है, हालांकि बचाव पक्ष द्वारा मामले को भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि, ऐसा कुछ भी अभिलिखित नहीं है जो यह दर्शाए कि मृतक ने पुलिस स्टेशन के गेट पर कार को टक्कर मारी, जो उस पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी पाई गई थी और उसके शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी, इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि कार ने गेट को टक्कर मारी थी, जैसा कि बचाव पक्ष का मामला था। इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष रखे गए सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि यह अपीलार्थी ही था जिसके पास मृतक की हत्या करने का हेतु था क्योंकि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। अपीलार्थी और मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, मृतक ने अपीलार्थी की पत्नी के साथ इस संबंध को जारी रखा। इसलिए मृतक की हत्या करने के लिए अपीलार्थी का यही हेतु था।

25. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसके द्वारा किया गया कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है, जो इस प्रकार है:

“अपवाद 1. - जब सदोष मानव वध हत्या नहीं है। - सदोष मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, घोर और आकस्मिक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने

पर, प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या गलती से या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है।

उपर्युक्त अपवाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं: - पहला - यह कि अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकोपन के रूप में प्रकोपित या स्वेच्छा से प्रकोपित नहीं किया गया है।

दूसरा.—कि प्रकोपन विधि के पालन में की गई किसी भी कार्रवाई या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के वैध प्रयोग में नहीं किया गया है।

तीसरा.—कि प्रकोपन निजी बचाव के अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी भी कार्रवाई द्वारा नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण.—क्या प्रकोपन इतना घोर और आकस्मिक था कि अपराध को हत्या की श्रेणी में आने से रोका जा सके, यह तथ्य का प्रश्न है।”

बचाव पक्ष के अनुसार, मृतक की मृत्यु अपीलार्थी के कारण हुई थी, जब मृतक द्वारा किए गए घोर और आकस्मिक प्रकोपन के कारण अपीलार्थी अपनी आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई।

इस न्यायालय ने के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1962 एससी 605 से लेकर अब तक एक से अधिक मामलों में दोहराया है कि प्रकोपन के कारण ही अपराध को हत्या की कोटि में न आने वाली आपराधिक मानव हत्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हत्या के मामले को हत्या की कोटि में न आने वाली आपराधिक मानव हत्या के मामले में परिवर्तित करने के लिए प्रकोपन का ऐसा होना आवश्यक है जो अस्थायी रूप से किसी "उचित व्यक्ति" की आत्म-नियंत्रण की शक्ति को छीन ले। यह भी देखा जाना चाहिए कि इस कथित प्रकोपन और हत्या के कृत्य के बीच कितना समय अंतराल है; किस प्रकार के हथियार का प्रयोग

किया गया; वार की संख्या, आदि। ये सभी फिर से तथ्यों के प्रश्न हैं। इन परिस्थितियों में तर्कसंगतता क्या होनी चाहिए, इसके लिए कोई मानक या परीक्षण नहीं है क्योंकि यह फिर से न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न होगा। नानावटी (पूर्वोक्त) इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है:

"84. क्या "घोर और आकस्मिक" प्रकोपन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए एक समझदार व्यक्ति का कोई मानक है? तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक समझदार व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में क्या करेगा यह रीति-रिवाजों, तौर-तरीकों, जीवन शैली, पारंपरिक मूल्यों आदि पर निर्भर करता है; संक्षेप में, उस समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि जिससे अभियुक्त संबंधित है। हमारे विशाल देश में निम्नतम से लेकर उच्चतम स्तर की सभ्यता तक के सामाजिक समूह हैं। सटीकता के साथ कोई मानक निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है: प्रत्येक मामले में प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को निर्णय लेना है। इस मामले में यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त की स्थिति में रखा गया एक समझदार व्यक्ति क्षणिक या अस्थायी रूप से अपना संयम खो सकता था जब उसकी पत्नी ने किसी अन्य के साथ अपने अवैध अंतरंगता के विषय में उससे कबूल किया, क्योंकि हम इस साक्ष्य से संतुष्ट हैं कि अभियुक्त ने अपना संयम वापस पा लिया और जानबूझकर आहूजा की हत्या कर दी।

85. वर्तमान जांच हेतु प्रासंगिक भारतीय विधि को इस प्रकार कहा जा सकता है: (1) "घोर और आकस्मिक" प्रकोपन का परीक्षण यह है कि क्या अभियुक्त के समान समाज के वर्ग से संबंधित एक विवेकशील व्यक्ति, जिस स्थिति में अभियुक्त को रखा गया था, उसे इस प्रकार से प्रकोपित किया जाएगा

कि वह अपना आत्म-नियंत्रण खो देगा। (2) भारत में, शब्द और हाव-भाव भी, कुछ परिस्थितियों में, अभियुक्त को घोर और आकस्मिक प्रकोपन का कारण बन सकते हैं जिससे उसका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत आ सके। (3) पीड़ित के पूर्व कृत्य द्वारा निर्मित मानसिक पृष्ठभूमि को यह पता लगाने में ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या बाद के कृत्य अपराध करने के लिए घोर और आकस्मिक प्रकोपन का कारण बने। (4) घातक प्रहार को स्पष्ट रूप से उस प्रकोपन से उद्भूत जुनून के प्रभाव से जोड़ा जाना चाहिए, न कि समय बीतने के कारण जुनून के शांत हो जाने के बाद, या अन्यथा पूर्वचिंतन और गणना के लिए जगह और गुंजाइश देने के बाद।

वर्तमान मामले में हर संभव पहलू पर मामला हत्या के अलावा कुछ नहीं है। प्रयोग किए गए हथियार की प्रकृति; मृतक पर चलाई गई गोलियों की संख्या; शरीर का वह हिस्सा जहां से गोलियां चलाई गईं, ये सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अपीलार्थी मृतक को मारने के लिए दृढ़ था। आखिरकार, उसने अपना काम पूरा किया और यह सुनिश्चित किया कि मृतक मर चुका है। किसी भी प्रकार से यह कम परिमाण का मामला नहीं है, और निश्चित रूप से हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध नहीं है।

वर्तमान मामले के तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के किसी अन्य अपवाद के अंतर्गत कोई मामला नहीं बनाते हैं।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, यह अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी को जमानत देने वाला दिनांक 02.04.2012 का अंतरिम आदेश निरस्त माना जाता है और अपीलार्थी को

आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अपीलार्थी अभ्यर्पण कर दे और अपने दंडादेश का शेष भाग भुगतें।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

हेडनोट्स तैयार किया गया: निधि जैन द्वारा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.